न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस

वाद संख्या : 74/2016

निर्णय दिनांक : 22.12.2023

श्रवण

बनाम किशनदास वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

निर्णय

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने यह वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 147 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार वादी का पिता रामेश्वर पुत्र चन्दा बागडा था जिससे प्रतिवादी संख्या एक ने धरमार्थ प्रयोजनार्थ हेतु दान करवा कर अपने नाम अंकित करवा ली, इस तरह वादी ने वाद के द्वारा दान जो दिनांक 29.03.1960 को किया है उसे निरस्त करवाकर खातेदारी अपने नाम करवाने की इस्तदुआ चाही है। वादी इस वाद के माध्यम से रामेश्वर के द्वारा किये गये विक्रय पत्र बहक जगदीश सिंह पुत्र गणपत सिंह को भी चुनौती दी है, इस तरह वादी द्वारा दान व विक्रय पत्र को चुनौती दी है जिसके सम्बन्ध में वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित नही है, न ही यह न्यायालय इस वाद के द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रदान करने में सक्षम है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आता है और सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा वाद के साथ संलग्न शपथ पत्र में अपनी आयु 40 वर्ष अंकित की है, वादी के हकपूर्वाधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण सन् 1960 एवं सन् 1962 में किया गया है जिससे स्पष्ट है कि हस्तान्तरण के समय वादी का जन्म ही नही हुआ था, मूल खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सम्पूर्ण हस्तान्तरण किया जा चुका था ऐसी स्थिति में जब उसके पास भूमि शेष ही नही रही तो उस भूमि के सम्बन्ध में वादी विरासत के आधार पर अपने अधिकार मांगने के लिए अधिकृत नही है, ना ही उसमें विरासत के आधार पर अधिकार निहित हो सकते है क्योंकि अन्तर्गत धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उक्त हस्तान्तरण के बाद मूल खातेदार के अधिकार समाप्त हो चुके थे, ऐसी स्थिति में भी वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नही होता है, इसलिए वाद[illegible]भाव में भी वादी का वाद आदेश 7 नियम 11(ए) जा0दी0 सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब पेश न करते हुए सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने बहस अपनी बहस में निवेदन किया कि मिन अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:54:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अपने हक अधिकारों की घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है जिसमें मयाद का कोई प्रश्न नही है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता की खातेदारी एवं काश्त की भूमि है और उसके आधार पर वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज फरमाया जावें।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि सबिका खसरा नम्बर 147 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मानपुर भाटवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार रामेश्वर वल्द चन्दा कौम बागडा था, उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार रामेश्वर पुत्र चन्दा द्वारा पंचायत बोर्ड मोहनपुरा के समक्ष उपस्थित होकर साबिका खसरा नम्बर 147 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि से रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि को किशनदास चेला कनीदास को धर्मदा के रूप में दे दी जावें जिसके आधार पर ग्राम पंचायत मोहनपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 29.09.1960 रामेश्वर पुत्र चन्दा की खातेदारी भूमि में से 4 बीघा 3 बिस्वा का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तस्दीक किया गया। वादी ने रामेश्वर पुत्र चन्दा का पुत्र बताते हुये वाद पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के पिता की भूमि है और उसकी पैतृक आराजी है इसलिए खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है, दस्तावेजात् का अवलोकन किये जाने से वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात वादी की पैतृक कृषि भूमि हो। वादी द्वारा वाद के साथ संलग्न शपथ पत्र में अपनी आयु 40 वर्ष अंकित की है, वादी के हकपूर्वाधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण सन् 1960 एवं सन् 1962 में किया गया है जिससे स्पष्ट है कि हस्तान्तरण के समय वादी का जन्म ही नही हुआ था उस समय वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार वादी के पिता रामेश्वर द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सम्पूर्ण हस्तान्तरण किया जा चुका था और वादी के पिता के पास कोई भूमि शेष ही नही रही थी इसलिए वादी विरासत के आधार पर अधिकार मांगने का हकदार नही है, इस सम्बन्ध में धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार काश्तकार द्वारा भूमि का विक्रय या दान कर दिया जाता है तो उसके खातेदारी अधिकार उसी समय समाप्त हो जाते है और ग्रहिता में समाहित हो जाते है। वादी के रामेश्वर पुत्र चन्दा की मृत्यु वर्ष 2008 में हो चुकी है, इससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा अपने पिता के जीवनकाल [illegible] भूमि के सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही अथवा आपत्ति नही की है [illegible] के पिता रामेश्वर द्वारा अपने जीवनकाल में की है। वादग्रस्त भूमि का [illegible] काश्तकार वादी का पिता रामेश्वर था जिसने अपने जीवनकाल में ही उक्त वादग्रस्त आराजीयात का हस्तान्तरण किया जा चुका था जिससे वादी को [illegible] व अधिकार प्राप्त नही होते है। वादी द्वारा उक्त वाद के माध्यम से दान पत्र एवं विक्रय पत्र को प्रभावशुन्य घोषित करवाने के अनुतोष की मांग की है, इस न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज शुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal S
Date: 2024.02.02 10:54:21 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पंजीकृत दस्तावेज को शुन्य घोषित करवाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में निहित है, इसलिए वादी का वाद विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बाबत् ग्राम मानपुर भाटावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 384/1, 389, 390/1, 390/494, 392/1, 381, 382, 383, 384, 385, 386/513, 387/514, 390, 391, 392 कुल किता 15 रकबा 1.11 हैक्टेयर को खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Sin
Date: 2024.02.02 10:54:21 IST
Reason: SelfAttested